रांची एक्सप्रेस

सोमवार, 16 अप्रैल 2001

बौद्धिक संपदा अधिकार विधेयक और किसान

फिलिप क्लेट

भारत ने गुजरे दशक में अन्तरराष्ट्रीय दबावों के चलते कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। विश्व व्यापार संगठन के बैनर तले जैव-विविधता, पेटेंट और वनस्पति विविधता विधेयक उन्हीं की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के नतीजे हैं। विशेषत: उन समझौतों द्वारा अनुमोदित संपत्ति के अधिकारों के मॉडलों के संदर्भ में इनका महत्व और भी बढ़ जाता है।

ये तीनों ही विधेयक सामान्यत: उस प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करते हैं जिसके अन्तर्गत राज्यों तथा निजी संचालकों द्वारा, विभिन्न किस्म के संपत्ति-अधिकारों का विनियोजन किया जा रहा है। संप्रति के सामुदायिक अधिकारों का क्रमिक खात्मा और जेनेटिक संसाधनों के प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत-संसाधनों और ज्ञान के मुक्त आदान-प्रदान का निषेध किया जा रहा है। इन घटनाओं का सीधा संबंध जेनेटिक अभियांत्रिकी द्वारा खोले गए अवसरों और नतीजतन, जैविक संसाधनों के बढ़ते हुए आर्थिक मूल्य से है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित ढांचा कई मायनों में समस्यापरक है, क्योंकि वह जैव - विविधता प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े कुछ बेहद बुनियादी सरोकारों को दरकिनार कर देता है। वैसे हर व्यक्ति की भोजन व स्वास्थ्य में मूलभूत जरूरतों की पूर्ति का मसला।

संप्रभुता एवं जैविक संसाधन : उपनिवेशों की मुक्ति के समय से ही यह आम सहमति रही है कि जैविक संसाधनों पर राज्यों के संप्रभु अधिकार हैं। राज्य कोयले जैसे संसाधनों के उपयोग को अपेक्षाकृत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जैविक संसाधनों के मामले में इस तरह का नियंत्रण कर पाना, एक बेहद कठिन काम है। हकीकत में जैविक संसाधनों को किसी भी मुल्क के बाहर ले जाना, मसलन बीजों शक्ल में, काफी आसान है। दूसरे शोध केंद्रों के माध्यम से पिछले कुछ दशकों में बड़े पैमाने पर जैविक संसाधनों का आदान-प्रदान होता रहा है और इन केन्द्रों में दुनिया भर की भोजन देने वाली फसलों के जेनेटिक संसाधनों का एक काफी बड़ा भंडार मौजूद है। सो, जैव विविधता विधेयक के जरिए अपने संप्रभु अधिकारों पर भारत का आग्रह कुछ हैरानी में ढालने वाले हैं। लेकिन इससे यह तथ्य भी सामने आता है कि जिन राज्यों के पास महत्वपूर्ण जैविक संसाधन हैं, उन्हें इन पर नियंत्रण हासिल करने का कोई दूसरा बेहतर तरीका नहीं मिल सका है।

लाभ में साझेदारी और बौद्धिक सम्पदा के एकाधिकार : गौरतलब है, कि नई अधिकार व्यवस्था के सबसे अहम पहलुओं में से सम्पत्ति के निजी अधिकारों की शुरूआत और उनका सुदृढ़ीकरण मुख्य है। लेकिन जहां एक ओर जैविक संसाधनों पर आधारित शोध के उत्पादों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के लिए भारी प्रोत्साहन है, वहीं प्रयोगशालाओं में शोध के लिए जैविक संसाधनों और ज्ञान पर संपत्ति अधिकार देने का शोध व व्यवसाय से जुड़े वर्गों में बहुत विरोध है। नतीजतन किसानों, स्थानीय समुदायों और जैव-विविधता के अन्य प्रबंधकों को उनके अपने ज्ञान पर बौद्धिक संपदा का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बदले में, इनके योगदान को मान्यता देने के लिए लाभ में साझेदारी की धारणा पेश की गयी है।

यह धारणा विधेयकों में व्यापक रूप से अलग-अलग है। वनस्पति - विविधता विधेयक में लाभ की साझेदारी को मात्र आर्थिक मुआवजे के रूप में परिकल्पित और प्रस्तुत किया गया है। यह सीधे-सीधे संपत्ति के एकाधिकारों को लागू करने का नतीजा है, क्योंकि एकाधिकार के पीछे यह विचार है कि किसी आविष्कार का सारा लाभ केवल एक ही व्यक्ति या संस्था को मिलना चाहिए। यह विचार इस तथ्य की अनदेखी करता है वास्तव में जैविक संसाधनों के प्रबंधन और संवर्द्धन में एक नहीं, अनेक कर्ता शामिल होते हैं। होना यह चाहिए था, कि कुछ को संपत्ति के एकाधिकार और बाकियों को आर्थिक मुआवजा देने के बजाय, संपत्ति के अधिकारों की एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाती, जिसमें विभिन्न कर्त्ताओं को विभिन्न प्रकार के संपत्ति अधिकार दिए जा सकते।

जाहिर है, कि तीनों विधेयक एक ही विषय वस्तु के अलग-अलग अंशों से संबंधित हैं। मसलन, वनस्पतियों के प्रकार, जैविक संसाधनों की एक उपश्रेणी है। इसलिए यह देखकर हैरानी होती है, कि जैव-विविधता विधेयक की जैविक संसाधनों की परिभाषा से वनस्पति प्रकारों को बाहर नहीं रखा गया है, जबकि उनके लिए अलग से विधेयक मौजूद है। जैव-विविधता और वनस्पति विविधता विधेयक की विषय - वस्तु और उनमें विचारित मसले बिल्कुल एक हैं, लेकिन तब भी दोनों एक साझा संस्थान बनाने की बजाय अपने अलग-अलग राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करना चाहते हैं। इनके अलावा, दोनों के लाभ में साझेदारी को आर्थिक मुआवजे का स्वरूप दिया गया है, लेकिन आर्थिक मुआवजे का उल्लेख है, पर जैव विविधता विधेयक में इसके अन्य स्वरूप भी शामिल किए गए हैं, जिनमें सम्पति अधिकारों में साझेदारी की भी व्यवस्था है।

विधेयक और उनका व्यापक संदर्भ : उपरोक्त तीनों विचाराधीन विधेयक जैव - विविधता के प्रबंधन से जुड़े सभी स्थानीय संचालकों को कई स्तरों पर गहरे प्रभावित करेंगे। इनमें कृषि क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों से लेकर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी ईकाईयां शामिल हैं। दरअसल, ट्रिप्स मुल्क की मौजूदा संपत्ति-अधिकार व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने की बाध्यता आरोपित करता है। हालांकि फिलहाल ट्रिप्स ही सर्वोपरि जान पड़ता है, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि संपत्ति अधिकारों की जो नई व्यवस्था बनाई जाएगी उसके महत्वपूर्ण सामाजिक और मानवीय नतीजे होंगे।

दरअसल जैविक संसाधन आर्थिक संसाधन भर नहीं हैं, बल्कि वे तमाम व्यक्तियों की भोजन आपूर्ति की प्राथमिकता सामग्री भी हैं। इसलिए संपत्ति अधिकारों की प्रस्तावित व्यवस्था का सीधा संबंध मानवीय अधिकारों, भोजन और स्वास्थ्य के अधिकारों की पूर्ति से है। इसका सीधा मतलब है, कि ट्रिप्स को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकारों की व्यवस्था से एकदम अलग कर नहीं देखा जा सकता। कानून आयोग ने भी अपने प्रस्तावित जैव-विविधता विधेयक में इस सच्चाई को मान्यता देते हुए शर्त रखी थी जो प्रजातियां आहारपरक या चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन पर बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।